

tractors who were to undertake this work, the work has now started only in October, 1967 after the monsoon. Due to this delay of about nine months, Stage I will now be commissioned in December, 1971, instead of March, 1971. As the construction schedule finalised in December, 1966, was very tight, it is not expected that this time lost would be made up during the construction stage. To ensure implementation of the project as per present schedule, planning and scheduling is being done with net work technique.

IMPORT OF MACHINERY

1866. SHRI BHOGENDRA JHA :
SHRI PASHABHAI PATEL :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to enforce a total ban on the import of materials, machinery and parts from abroad which are being or can be produced in India in order to overcome recession in the industrial production; and

(b) if so, how many orders placed abroad have been or are to be cancelled and for what items ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). It is not practicable to impose a total ban as such on the import of materials, machinery and parts from abroad which are being or can be produced in India unless these are being actually produced in the country in adequate quantities and as per the required time schedules.

चलती रेलगाड़ियों में चोरी तथा डकैती की घटनाएँ

1867. श्री शशिमूषण बाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 29 अक्टूबर, 1967 को डाकुओं के एक गिरोह ने कानपुर-झांसी यात्री रेलगाड़ी के एक डिब्बे में यात्रा कर रहे लगभग सभी यात्रियों को पिस्तौल दिखाकर झांसी के निकट लूट लिया

था और एक सैनिक को, जब उसने प्रतिरोध किया तो, छुरा भोंक दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यात्रियों की जान तथा माल को हिफाजत के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :
(क) जी हां ।

(ख) रेलों और रेलगाड़ियों तथा परिसरों में अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने का दायित्व राज्य-पुलिस पर होने के कारण इस घटना की रिपोर्टें सरकारी रेलवे पुलिस, झांसी में की गयी जिसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया । इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिये सहायक इंस्पेक्टर जनरल (रेलवे) और कानपुर तथा झांसी के वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस से विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में रात में चलने वाली सवारी गाड़ियों में हथियारबन्द अनुरक्षकों की व्यवस्था करें और अपराधियों को दण्ड देने के लिये अन्य उपयुक्त निवारक उपाय करें ।

मध्य प्रदेश में लोहे की नई खानें

1868. श्री शशिमूषण बाजपेयी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पाई गई लोहे की नई खानों के विकास के लिये सरकार क्या योजनायें बना रही है;

(ख) क्या वहां पर खोज कार्य अब भी जारी है; और

(ग) क्या इस खोज कार्य में मध्य प्रदेश का पश्चिमी नैमाड़ जिला भी शामिल है ?